न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 13/2015 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2015/00035

अनवान

1. सरकार जरिये तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर।

– प्रार्थी/अपीलान्ट

बनाम

1. श्री प्रकाशचन्द्र पिता भगवान लाल ब्राह्मण, निवासी मेहरो का गुड़ा, तहसील सलुम्बर।
2. श्रीमती गौरी देवी पत्नि देवराम, निवासी धावड़ी, तहसील सलुम्बर।

– विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

*** निर्णय ***

दिनांक 13-07-2017

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रस्तुत किया कि मौजा कल्याणाकलां, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर की आराजी संख्या 317 मे 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि जिला कलक्टर उदयपुर के आदेश क्रमांक एफ–12/3(10)राजस्व/92/1722–25 दिनांक 23.06.1992 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मेहरो का गुड़ा, तहसील सलुम्बर के नाम 30 वर्ष की लीज पर आवंटित हुई थी। वर्तमान मे हाल आराजी संख्या 2722/785 रकबा 0.70हे. एवं आराजी संख्या 2740 रकबा 0.20हे. भूमि विद्यालय के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हैं, जो मौके एवं राजस्व रेकर्ड मे रास्ता हैं, जबकि साबिक आराजी संख्या 317 मे जो भूमि नक्शा ट्रेस मे विद्यालय के लिये प्रस्तावित की गई है, वह मौके पर हाल आराजी संख्या 806 बनता हैं। वर्तमान रेकर्ड मे आराजी संख्या 2426/806 मे प्रकाशचंद्र पिता भगवान लाल ब्राह्मण, निवासी मेहरो का गुड़ा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर के नाम 0.50हे. एवं आराजी संख्या 2725/806 रकबा 0.50हे. श्रीमती गौरी देवी पत्नि देवराम के नाम आवंटन से खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड हैं। विपक्षीगण को आवंटित भूमि वर्तमान मे मौके पर पड़त होकर किसी का कब्जा नहीं हैं। चूंकि उक्त आवंटियों का मौके पर आराजी संख्या 806 मे कब्जा न होकर भूमि पड़त अवस्था मे है। अतः आवंटियों के विरूद्ध कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत हैं।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2

की ओर से अधिवक्ता श्री महेश भट्ट ने वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण मे जवाब हेतु समय चाहा। विपक्षीगण के अधिवक्ता को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी विपक्षीगण अथवा उनके अधिवक्ता की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न होने से प्रकरण मे विपक्षीगण की ओर से जवाब बंद किया गया।

तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर से विवादित आराजी संख्या पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गई एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी गई। तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर द्वारा प्रकरण मे तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 17.05.2017 मे स्पष्ट किया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेहरों का गुड़ा को जिला कलक्टर उदयपुर के आदेश क्रमांक 1722–25 दिनांक 23.06.1992 से ग्राम कल्याणाकलां, तहसील सलुम्बर की साबिक आराजी संख्या 317 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन हुआ एवं उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर, जिला उदयपुर के आदेश क्रमांक 139 दिनांक 28.11.2001 से आराजी संख्या 2740/785 रकबा 0.20हे. भूमि का आवंटन हुआ हैं। विपक्षी संख्या 1 श्री प्रकाशचन्द्र पिता भगवानलाल ब्राह्मण को ग्राम कल्याणाकलां, तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 2726/806 रकबा 0.50हे. एवं विपक्षी संख्या 2 श्रीमती गौरी देवी पत्नि देवराम को आराजी संख्या 2725/806 रकबा 0.50हे. भूमि दिनांक 09.08.2000 को आवंटित हुई है तथा दिनांक 27.09.2005 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। मौके पर उक्त दोनो आराजीयात की भूमि पड़त होना पाया गया हैं। वर्तमान मे उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर द्वारा आवंटित ग्राम कल्याणाकलां की आराजी संख्या 2740/785 रकबा 0.20हे. भूमि पर विद्यालय का भवन बना होकर संचालित हैं। ग्राम कल्याणाकलां की साबिक आराजी संख्या 317 मे 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि विद्यालय को आवंटित हुई, जिसका अमल दरामद राजस्व रेकर्ड मे हाल आराजी संख्या 2722/785 रकबा 0.70हे. मे किया गया है, जबकि उक्त आराजी मौके पर पड़त होकर रास्ते के उपयोग मे आ रही है। विद्यालय को आवंटित साबिक आराजी संख्या 317 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन प्रस्ताव के नक्शा ट्रेस अनुसार अमल दरामद नहीं हुआ है। साबिक नक्शा ट्रेस एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस अनुसार आवंटित भूमि का अमल दरामद हाल आराजी संख्या 806 एवं 808 के आंशिक रकबे पर होना चाहिये था। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल आराजी संख्या 806 एवं 785 साबिक आराजी संख्या 317 से बने हैं। विद्यालय को आवंटित साबिक आराजी संख्या 317 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन प्रस्ताव के नक्शा ट्रेस का मिलान हाल नक्शा ट्रेस मे आराजी संख्या 2726/806 रकबा 0.50हे., आराजी संख्या 808 एवं 2722/785 के आंशिक रकबे पर होता है। आराजी संख्या 2725/806 मे नहीं होता हैं। मौके पर भूमि पड़त है।

तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण मे उपखण्ड अधिकारी से आवंटन पत्रावली मंगवाई जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तारीख नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता को बहस हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता के उपस्थित न रहने से प्रकरण मे एकतरफा बहस सुनी गई। बहस प्रारंभ करते हुए राजकीय अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार सलुम्बर द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को दोहराया। हमने उपखंड अधिकारी सलुम्बर से प्राप्त

आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति, तहसीलदार की रिपोर्ट मे वर्णित बिंदुओ एवं तथ्यो का गंभीरता से अध्ययन किया एवं जमाबंदी की नकल का अवलोकन किया।

आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 श्री प्रकाशचंद्र पिता भगवानलाल ब्राह्मण, निवासी मेहरों का गुड़ा को ग्राम कल्याणाकलां की आराजी संख्या 806 रकबा 0.50हे. भूमि का आवंटन जरिये आवंटन पत्रावली संख्या 116/2000 से किया गया है। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 2 श्रीमती गौरी देवी, निवासी धावड़ी को मौजा कल्याणाकलां, तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 806 रकबा 0.50हे. भूमि का आवंटन जरिये आवंटन पत्रावली संख्या 110/2000 से किया गया है। उक्त दोनो ही आवंटन मे पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच कर रिपोर्ट अंकित की गई है तथा आवंटित भूमि का विवादित न होना सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित न होने के तथ्य आदि का अंकन रिपोर्ट मे करने के उपरान्त आवंटन कमेटी के कोरम के सदस्यों तहसीलदार, विकास अधिकारी, प्रधान, सरपंच आदि के हस्ताक्षर एवं आवंटन कमेटी के अध्यक्ष उपखण्ड़ अधिकारी सलुम्बर के हस्ताक्षर पत्रावली पर उपलब्ध हैं तथा आवंटन के पश्चात् विधिवत कब्जा दिया जाना कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट मे स्पष्ट जाहिर है। विपक्षीगण द्वारा आवंटन मे कोई तथ्य छुपाया हो या मिसप्रजेन्टेशन से या फ्रॉड़ आवंटन कराया हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। जहां तक राजस्व रेकर्ड मे गलत अमल दरामद का प्रश्न है, यह तथ्य विपक्षीगण को किये गये आवंटन के समय पत्रावली पर कहीं भी अंकित नहीं हैं।

नकल वर्तमान जमाबंदी से यह ज्ञात होता है कि मौजा कल्याणाकलां, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर की विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित आराजी के हाल आराजी संख्या क्रमशः 2726/806 रकबा 0.50हे. एवं 2725/806 रकबा 0.50हे. भूमि राजस्व रेकर्ड मे विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी हक से दर्ज हैं। खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना किये जाने पर ही प्रदान किये जाते है। चूंकि विपक्षी संख्या 1 व 2 को मौजा कल्याणाकलां, तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 2726/806 रकबा 0.50हे. एवं 2725/806 रकबा 0.50हे. भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है। उक्त आवंटन को लगभग 17 वर्ष हो चुके है एवं इतने लम्बे समय पश्चात् खातेदारी मिल जाने के उपरान्त नियम 14(4) अंतर्गत कार्यवाही उचित प्रतीत नही होती है। तहसीलदार सलुम्बर द्वारा अपनी रिपोर्ट मे ग्राम कल्याणाकलां, तहसील सलुम्बर की साबिक आराजी संख्या 317 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि का अमल दरामद हाल आराजी संख्या 2722/785 रकबा 0.70हे. पर किया जाना एवं उक्त आराजी मौके पर पड़त होकर रास्ते के उपयोग मे आना बताया है, किन्तु वर्तमान जमाबंदी मे उक्त आराजी संख्या 2722/785 रकबा 0.70हे. भूमि की किस्म रास्ता न होकर स्कूल अंकित है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर द्वारा द्वारा कल्याणाकलां, तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 2726/806 रकबा 0.50हे. एवं 2725/806 रकबा 0.50हे. भूमि पर विपक्षी संख्या 1 व 2 को

किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। प्रार्थी यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत सक्षम न्यायालय मे चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर